

## सार-समाचार

### सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की जानकारी दी

छबड़ा (निसं)। स्वचित्वोंशित कॉलेज में आयोजित साथ दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा तथा ऑनलाइन बैंक टांक विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. बिरधोलाल बैंक रूपा को कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राप्त रहे। आसीन मीणा ने की अतिविधि के रूप में छात्रान् लाल, सहायक साथी प्रबंधक में छटाल बैंक आपक रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. जितेन रिंग व्याख्यान ने सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सड़क पर बाहन चलते समय यातायात विभाग के नियमों का हमेस्हा पालन करना चाहिए। सहायक प्रबंधक छात्रालाल ने कहा कि अपनी गति से बाहन चलाने पर दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए नियमों की व्यापार में बढ़ते हुए बाहन चलाए और ठाठी की जानकारी देने हुए कहा कि बड़ी भी अपने खाता संख्याएँ से संबंधित ओटीपी और अपनी बैंक व व्याख्यान जानकारी कियी की भी नहीं देनी चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों को भी खाता संख्या और ओटीपी की जानकारी नहीं देने के सालाना दी प्राचीन मीणा ने भी यहां विद्यार्थियों को यातायात सुवधी जानकारी देते हुए दूरदृशी की नियमों की जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉ. आशा भाराव, शारीरिक शिक्षक डॉ. अशोक भाराव आदि मौजूद रहे।

### थानाधिकारी का विदाई समारोह

रावतभाटा, (निसं)। ऐंसेरेंडगढ थाना अधिकारी मोहन सिंह शेखावत का स्थानान्तरण राजसमाज जिले के नाथद्वारा थाना अधिकारी के पद पर होने पर शुक्रवार को स्थानीय लोगों द्वारा विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को उंशंक श्रीमति एवं रवि प्रताप सिंह गौड़ द्वारा संबोधित करते हुए, कहा कि थाना अधिकारी मोहन सिंह शेखावत के उद्घाटन एवं प्रवासी लोगों को भावान बनाए रखने पर पूरी प्रशंसा की गई। थाना अधिकारी मोहन शेखावत के उद्घाटन की कामना की गई। कार्यक्रम में गांव के लोगों द्वारा तिलक लगाकर माल्यार्पण कर एवं साकार बांधकर समान किया गया। इस कार्यक्रम में उंशंक श्रीमति रवि प्रताप सिंह गौड़, शाला शर्मा, ललितपुरी गोविलामी, राज शर्मा, ग्राम पंचायत सचिव रामविनाश, समस्त पंचानी, राजदीप सिंह गौड़, राजदीप हुसैन, टीटू, पप्पन, राकेश पोखरिया और ऐंसेरेंडगढ थाना स्टाफ उपस्थित था।

### महारैली में भाग लेने का आव्हान

छबड़ा (निसं)। एंसेरेंडगढ थाना में समाज अध्यक्ष रामेश्वर धाकड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें 20 जनवरी को बारां में पृष्ठ धाकड़ के हमलावारों को गिरफ्तार किया जाने और न्याय दिलावा जाने को लेकर आयोजित समाज एकान्मान धारैली में भाग लेने का आव्हान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अब धाकड़ समाज स्वतंत्र है, किसी पार्टी की गुलाम बनकर नहीं रहेगा। जैसा कि कुछ भाजपा के हमर्द कह रहे हैं कि धाकड़ भाजपा की नींव है या असंतुलित विकास होता है। अफिनी हास्पिटल, तलवडी जौरहा द्वारा रविवार 19 जनवरी को भानसिक मंदाना के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उपयोग दोपहर 1.30 से 2.30 बजे रहेगा। इस कार्यशाला में डॉ. जीवा विजयवर्गीय, मनोविज्ञानिक एवं कार्डिलर, एमबीबीएस, डीपीएम (साकेट्री), एपआईपीएस द्वारा भानसिक मंदाना, इसके स्तर, कारण, इससे जुड़ी गतलक्षणियां और तथ्य, निदान, इलाज के उपाय आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही विषय विशेषज्ञों द्वारा बताया जाएगा कि किस तरह से बच्चे में मानसिक मंदाना होने से बचाव किया जा सकता है।

### पुण्यस्मृति में रक्तदान शिविर 19 को

छबड़ा (निसं)। समाजसेवी ऐमनारायण नागर (होटल वालों) की पुण्यस्मृति में गविवार को सालपुरा रोड स्थित श्रीलक्ष्मी आईटीआई में छठवाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रधान हारिओप नागर ने बताया की रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है, इसलिए ही इसे महादान कहा गया है। रक्त की एक-एक बूंद महत्वपूर्ण है, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति की जिंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने आमजन से आक्षयन करते हुए कहा कि रक्तदान के इस महापर्व में भानीदारी सुनिश्चित कर रक्तदान करने के बाद मानवसेवा के कार्य में भानीदारी निभाएं। पिंवर का आयोजन लक्ष्मी गुप्त व महाकाल मित्र मंडल आदि सेवाभावी संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

**आभियुक्त व्यवित्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा**

**धारा 82 Cr.P.C. देखिए**

मेरे समस्त परिवाद किया गया है कि अभियुक्त बूज मोहन शर्मा पुरुष श्री पार्षद, निवासी मकान नं. 1267, गली नं. 5, चोड़ा फार्म, कोटा जवशन, राजस्थान ने प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 368 / 13 धारा 498ए / 406 भा.द.स. थाना विजय विवार, दिल्ली के अधीन दाढ़नीय अपराध किया है (या सद्विधा है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त बूज मोहन शर्मा ने यह नहीं रहा है और मुझे समान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त बूज मोहन शर्मा फरार ही गया है (या उक्त वारंट की तापील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसके खिलाफ माननीय अदालत द्वारा धारा 82 Cr.P.C. की कार्यालयी जारी हो चुकी है। इसलिए इसके द्वारा उद्योगशाला की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 368 / 13 धारा 498ए / 406 भा.द.स. थाना विजय विवार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त बूज मोहन शर्मा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस व्यावायिक के समाप्त उक्त परियाद का उत्तर देने के लिए 18.02.2025 को देखिए।

आदेशनामासार: सुश्री ऐश्वर्या शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रीमंती (भहिला न्यायालय)-01 कमान नं. 106, प्रधान तल, रोहिंगी कोट, दिल्ली

**भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली सलाह संख्या. आईसीएमआर/डी आई आर/02/2024-कार्मिक रिक्ति परिपत्र**

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, आईसीएमआर-राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य एवं विकास अनुसंधान संस्थान (एनआईसीएचडीआर), नई दिल्ली में निदेशक के रिक्त पद के लिए 17 फरवरी, 2025 को शाम 5:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित करता है। वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (रु. 1,44,200-2,18,200) (7वें सीपीसी स्केल) और आईसीएमआर कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सामान्य भर्ती के तहत यह पद रिक्त है।

विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया आईसीएमआर की वेबसाइट [www.icmr.nic.in](http://www.icmr.nic.in) या <https://recruit.icmr.org.in> देखें।

CBC 17152/11/0028/2425

CBC 21354/12/0004/2425

CBC 21354/12/0004/2425